

HP 201

①

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय**  
**महानदी भवन, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0) 492002**

**आदेश**

रायपुर, दिनांक /11/2018

क्रमांक /3700/21-ब/छ0ग0/18,- राज्य शासन, एतद्वारा, रिट पिटीशन (सि) क्रमांक 643/2015 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 मार्च, 2018 के अनुपालन में, द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग के अंतरिम सिफारिशों के आधार पर, राज्य न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को उनके मूल पेंशन/फैमिलि पेंशन का 30 प्रतिशत अंतरिम राहत के रूप में दिनांक 01.01.2016 से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0क्रमांक एफ2018-21-01550, दिनांक 13.11.2018 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( रविशंकर शर्मा )  
प्रमुख सचिव


छ0ग0शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्रमांक 1502 /3700/21-ब/छ0ग0/18,  
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, दिनांक /11/2018  
28 NOV 2018

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
2. रजिस्ट्रार जनरल, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर आवश्यक आदेश जारी करने के साथ-साथ अन्य राज्यों के महालेखाकार को प्रेषित करने हेतु,
4. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स नं0 (पूर्व) मुंबई/लेखाधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक, शुभाशीष परिसर, महादेव घाट रोड़, प्रेम विहार, डंगनिया, सुन्दर नगर रायपुर, छ.ग. 492013 (फोन. नं.- 0771-2242332), की ओर सभी संबंधित बैंक की शाखाओं को इस आदेश की प्रति अग्रेषित करने के निवेदन सहित,
5. मान0 मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की ओर मान0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ,
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
7. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर,
8. मान0 विधिमंत्री जी के निज सचिव की ओर मान0 विधिमंत्री जी के अवलोकनार्थ,
9. प्रमुख सचिव, विधि के स्टाफ आफिसर की ओर मान0 प्रमुख सचिव, विधि के अवलोकनार्थ,

10. संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन छ.ग. रायपुर,
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी छ.ग.,
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश छ.ग.,
13. सचिव छ.ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर,
14. सचिव लोक आयोग छ.ग. रायपुर,
15. रजिस्ट्रार, राज्य उपभोगता विवाद प्रतितोषण आयोग रायपुर,
16. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य औद्योगिक न्यायालय रायपुर,
17. पीठासीन अधिकारी राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, रायपुर,
18. सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा मार्ग बिलासपुर,
19. रजिस्ट्रार, छ.ग. माध्यस्थम अधिकरण रायपुर,
20. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पीछे, एमीनिटीज ब्लॉक, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) की ओर छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

 28.11.18

( मनीष कुमार ठाकुर )  
अतिरिक्त सचिव

छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग